

सार्वजनिक सूचना

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने पत्रांक 11013/2/2016/डी(लैंड्स), दिनांक 10.3.2017 के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए नीति निर्धारण किया है :-
 - (i) कैंटोनमेंट लैंड प्रशासनिक नीमा 1925 एवं 1937 , 1899 एवं 1912 की समाप्त हो चुकी या हो रही कैंटोनमेंट कोड लीज का विस्तार ।
 - (ii) कैंटोनमेंट कोड एवं सीएलएआर पट्टे (लीजेज़) जिनका पूरी अवधि समाप्त नहीं हुई है , उनका नवीनीकरण ।
2. इस कार्यालय की इस नीति के अनुसार मुख्य अधिशासी अधिकारी , फ़िरोज़पुर छावनी के प्रबंधन अधीन 33 पट्टे समाप्त पाये गए हैं , जो फार्म निमन्वत है यानि कैंटोनमेंट लैंड प्रशासनिक नियम 1925 एवं 1937 ।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी ने जहां संभव हो , उल्लंघन की माफी / ऐसे लीज़ों की नवीनीकरण के लिए समाविष्ट अनुदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के पहल की है ।
4. समस्त पट्टाधारकों से आग्रह है कि किसी भी कार्य दिवस में 1100 बजे से 1300 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय पहुंचें एवं अनिवार्य औपचारकित्ताएं पूरी करें ताकि आगामी कार्य किया जा सके ।
5. स्मरणीय रहे कि इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के भीतर संबन्धित पट्टाधारकों से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पट्टाधारकों को अन्य कोई सूचना दिये बिना लीज़ निर्धारण हेतु इस कार्यालय द्वारा स्वतः ही कार्यवाही की जाएगी ।


संख्या छा पा फि/अभियंता उप मण्डल/2017/95

परिषद का कार्यालय,

83, झोक रोड फ़िरोज़पुर

फ़िरोज़पुर छावनी , पंजाब -152001

दिनांक 10 अप्रैल, 2017


ओम पाल सिंह, भा.र.स.से. छावनी
मुख्य अधिशासी अधिकारी